81114

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02 / 2013 3738 खाद्य, पटना / दिनांक 21.06.16

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

23 JUN 2016

विषय :– SECC डाटा के अतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016 का निदेश करना चाहेंगे। उपर्युक्त पत्र द्वारा SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ–साथ चरणबद्ध तरीके से माह अप्रैल तक अभियान चलाकर निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत राशन कार्डो के रददीकरण के साथ–साथ चिन्हित लाभुकों का UIDAI से सम्बद्धता स्थापित कर आधार कार्ड पंजीकरण कराते हुए डेटा संलग्न करने की कार्रवाई की जानी थी और उसके पश्चात आधार Authentication कराते हुए राशन कार्डो की डेटा बेस के आधार सीडिंग की कार्रवाई की जानी थी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपर्युक्त कार्य आपके जिला में लगभग पूर्ण कर लिये होंगे, लेकिन विभाग को उसकी अद्यतन सूचना प्राप्त नही हो रही है। कई जिलों से यह बताया गया है कि पंचायत चुनाव, 2016 के कारण उक्त कार्य की निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूर्ण नही किये जा सके है, जिसे पूर्ण करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। विभाग ने समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त कार्य की महत्ता को देखते हुए उसे चरणबद्ध तरीके से यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय। भारत सरकार द्वारा भी इस कार्य को पूर्ण करने के लिए लगातार स्मार प्राप्त हो रहे है।

अतः विभाग ने यह निर्णय लिया है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016 में दिये गये समय–सीमा की अवधि निम्न रूप से विस्तारित की जाती है :–

क्र0	कार्य का नाम	समय–सीमा	क्रियान्वयन करने वाले पदाधिकारी
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत पहचान किये गये लाभुको में से सॉफ्टवेयर के माध्यम से अयोग्य / डुप्लीकेट लाभुकों का डाटाबेस filter कराते हुए समेकित डाटाबेस तैयार करना ।	दिनांक 22.06.2016 से 29.06.2016 तक	D.I.O & D.S.O
2.	सत्यापन एवं डाटा संग्रहण हेतु राशन कार्ड आधारित विहित प्रपत्र की छपाई ।		D.S.O
3.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का final SQL डाटाबेस (RC 01, RC 02) का बैकअप DVD/ Hard Disk में जिला द्वारा विभाग में जमा करना।	दिनांक 30.06.2016 से 05.07.2016 तक	D.S.O & D.I.O
4.	(क) सत्यापन एवं डाटा संग्रहण प्रपत्र में अयोग्य / डुप्लीकेट लाभुकों को मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत निर्गत राशन कार्डो को चिन्हित करना (विहित प्रपत्र के अभ्युक्ति में अपात्रता के कारण को दर्शाया जाना आवश्यक है) ।	दिनांक 29.06.2016 से 29.07.2016 तक	D.S.O. S.D.O. B.D.O, M.O. B.S.O & Block level

669
23/6/16

	जाना आवश्यक है) । (ख) विहित प्रपत्र में आधार कार्ड तथा बैंक खाता संख्या का संग्रहण (आधार कार्ड तथा बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संख्या लिखा हो का छायाप्रति) किया जाना।		Verification staff.
5.	सत्यापन के पश्चात् अयोग्य पाये गये लाभार्थियों के राशन कार्ड को अनुमंडल स्तर पर अभियान चलाकर रद्द करने की कार्रवाई किया जाना ।	दिनांक 30.07.2016 से 31.08.2016 तक	S.D.O & M.O
6.	जिला द्वारा e-pds portal पर जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) का अद्यतन करते हुए शुद्धिकरण किया जाय ।	दिनांक 18.06.2016 से 29.06.2016 तक	D.S.O & D.I.O
7.	विभाग द्वारा चयनित भेंडर के माध्यम से जिला स्तर पर संग्रहित प्रपत्र से –(क) डाटा संग्रहण के उपरांत प्रपत्र में भरी गई प्रविष्टियों का मिलान संलग्न छायाप्रति के साथ किये जाने का कार्य । (ख) डाटा का अद्यतन एवं आधार, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, मोबाईल नं0 आदि का प्रविष्टि का कार्य । प्रविष्टि के समय विहित प्रपत्र को स्केन कर सॉफ्ट कॉपी में save कर फाईल बना लिया जाय । (ग) प्रविष्टि कार्य के उपरांत check list print कराकर मूल संग्रहित प्रपत्र से मिलान प्रखंड स्तरीय कर्मियों द्वारा किया जाना। (घ) मिलान के उपरांत पाये गये अशुद्धियों को भेंडर द्वारा पुनः Software के माध्यम से अद्यतन किया जाना ।	दिनांक 30.07.2016 से 13.09.2016 तक	नामित एजेंसी M.O, B.S.O प्रखंड स्तरीय कर्मियों
8.	संग्रहित आधार संख्या का Authentication का कार्य चयनित ऐजेंसी या अन्य माध्यम से कराते हुए डाटा बेस में गलत अथवा सही आधार संख्या, बैंक खाता संख्या को चिन्हित करते हुए राशन कार्ड संख्या से Mapping किया जाना ।	दिनांक 14.09.2016 से 21.09.2016 तक	—

उपरोक्त अवधि विस्तार में निम्नलिखित कार्रवाई करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र I से IV तक में प्रतिवेदन संकलित की जाय :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सुयोग्य लाभुक बचे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। उसके संदर्भ में निदेश दिया जाता है कि वैसे बचे हुए लाभुकों से RTPS के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय एवं नियमानुसार जॉचोपरांत चयन करने की कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।

2. जॉच दल के गठन में पंचायत सचिव/हल्का कर्मचारी/टोला सेवक/विकास मित्र/आंगनबाड़ी सेविका/किसान सलाहकार इत्यादि कर्मियों की सेवा ली जा सकती है। गठित जॉच दल के कार्यो का अनुश्रवण हेतु पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को भी लगाया जाय।

3. प्रपत्र की छपाई जिलों के लिए निर्धारित चुनाव दर या अन्य कोई दर यदि पूर्व से जिलों में निर्धारित हो तो, वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए करायी जा सकती है। प्रपत्र छपाई के लिए राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।

4. तकनीकी सहयोग जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 देंगे।

5. डाटा सत्यापन हेतु प्रिंट कराये गये राजस्व ग्रामवार पंजी को डाटा सत्यापन कराने के पश्चात् डाटा तैयार करने हेतु संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को Co-ordinator (समन्वयक) बनाया जाय। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे डाटा सत्यापन के पश्चात् ग्रामवार पंजियों को प्राप्त कर सत्यापनोपरांत डाटा को विभागीय प्रपत्र I और II मे संकलित कर प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ ।

6. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापनोपरांत ग्रामवार प्राप्त डाटा पंजी को उपलब्ध कराये गये विभागीय अलमीरा में सुरक्षित रखेंगे तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश से ग्रामवार